

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2460
सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना का कार्यान्वयन

†2460. डॉ. अमर सिंह:

श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

श्री तनुज पुनिया:

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2020 से सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के अंतर्गत शामिल प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और प्रतिभागियों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में, 31 अक्टूबर 2025 तक लिंग और श्रेणी-वार (एससी, एसटी और ओबीसी) वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) परियोजना स्वीकृति और निधि संवितरण के बीच लगने वाला औसत समय कितना है और यदि इसमें कोई देरी हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या रोजगारपरकता और सेवा गुणवत्ता पर इस योजना के परिणामों की कोई संपरीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय अपनी "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)" योजना के तहत सरकारी एवं पैनलबद्ध निजी संस्थानों के माध्यम से आतिथ्य और पर्यटन से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है।

इन कार्यक्रमों में हुनर से रोजगार तक, उद्यमिता कार्यक्रम, कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन, पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

इस योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण संचालित करने के लिए लक्ष्य नियत किए जाते हैं और योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार वांछित दस्तावेजों की प्रस्तुति पर ही निधियों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के माध्यम से सीबीएसपी योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया है। क्यूसीआई ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में इस योजना को जारी रखने की सिफारिश की है, क्योंकि इस योजना ने भारत के पर्यटन और आतिथ्य कार्यबल को उल्लेखनीय रूप से सशक्त बनाया है।

वर्ष 2020 से 31 अक्टूबर, 2025 तक स्वीकृत और प्रतिपूर्ति की गई निधियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

डॉ. अमर सिंह, श्री बलवंत बसवंत वानखडे, श्री तनुज पुनिया और डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना का कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. 12460 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 (31 अक्टूबर, 2025 तक) तक सीबीएसपी योजना के तहत प्रशिक्षित/प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	0	63	0	0	174	0	237
2.	अरुणाचल प्रदेश	363	0	152	120	0	0	635
3.	असम	109	185	375	493	1155	0	2317
4.	बिहार	343	210	134	123	1179	0	1989
5.	चंडीगढ़	25	0	468	112	0	0	605
6.	छत्तीसगढ़	49	79	67	30	265	0	490
7.	दिल्ली	85	210	79	373	1622	300	2669
8.	गोवा	0	0	0	30	0	0	30
9.	गुजरात	25	660	264	0	142	0	1091
10.	हरियाणा	266	473	900	636	2591	0	4866
11.	हिमाचल प्रदेश	383	754	488	315	5409	0	7349
12.	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र	1108	1054	1309	1096	11753	0	16320
13.	झारखंड	143	224	86	240	1600	60	2353
14.	कर्नाटक	279	350	203	343	1908	0	3083
15.	केरल	753	1500	58	153	240	0	2704
16.	मध्य प्रदेश	1929	5289	4727	6838	9429	0	28212
17.	महाराष्ट्र	153	110	647	420	6487	0	7817
18.	मेघालय	313	212	202	171	207	0	1105
19.	मणिपुर	0	0	0	0	743	0	743
20.	मिजोरम	660	0	834	0	47	0	1541
21.	ओडिशा	881	656	441	270	1130	0	3378
22.	पुदुचेरी	0	0	67	60	0	0	127
23.	पंजाब	675	1013	1012	1337	4276	0	8313
24.	राजस्थान	226	144	593	1453	5517	0	7933
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	2267	2538	3137	3644	2324	60	13970

27.	तेलंगाना	210	417	546	725	3525	0	5423
28.	उत्तर प्रदेश	320	4729	3418	3368	16914	120	28869
29.	उत्तराखंड	399	871	1116	1361	3929	0	7676
30.	पश्चिम बंगाल	0	142	251	226	6804	30	7453
31.	लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	121	151	0	0	0	0	272
32.	नागालैंड	0	0	67	216	431	0	714
	कुल	12085	22034	21641	24153	89801	570	170284

*वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 31 अक्टूबर, 2025 तक के आंकड़े दिए गए हैं।

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 (31 अक्टूबर, 2025 तक) तक सीबीएसपी योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण								
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	391095	0	0	0	0	0	391095
2.	अरुणाचल प्रदेश	578760	550515	4837276	0	3020374	0	8986925
3.	असम	1622668	4181030	4031889	27188	1488193	5688535	17039503
4.	बिहार	1919013	0	505220	1464269	318927	0	4207429
5.	चंडीगढ़	1842860	0	137627	826323	312048	0	19704600
	2							
6.	छत्तीसगढ़	2156048	827720	1147200	0	0	0	4130968
7.	दिल्ली	1205707	2848414	1121625	1959079	1545317	0	19014964
	3				3	44		9
8.	गोवा	1571251	0	32690	41820	70442	0	15857468
	6							
9.	गुजरात	2130320	0	609971	116256	0	605016	3461563
10.	हरियाणा	3180282	7621666	9700165	6326300	1194526	1152167	39544615
							6	
11.	हिमाचल प्रदेश	1707030	9073106	2941520	1548714	575632	0	15846002
12.	जम्मू और कश्मीर	9374396	1188200	8190238	1482295	1180983	1133351	46583925
			3		4			
13.	झारखंड	270120	1322700	0	2949628	0	1861752	6404200
14.	कर्नाटक	3449175	1375208	625207	4242535	1240490	0	10932615
15.	केरल	1597122	3994245	6154124	4187009	0	0	10393789
	3		3		9			9

16.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
17.	मध्य प्रदेश	1602882 9	1843176 2	3771650 2	3249541 6	5385265 7	2983209 0	18835725 6
18.	महाराष्ट्र	5799200	8165740	1644575	1000000	0	1018621 0	26795725
19.	मेघालय	2024363	2777417	2032685	461702	881266	553713	8731146
20.	मिजोरम	0	9425460	0	2508887	460200	0	12394547
21.	ओडिशा	2546270 7	2610053 1	2275500	9095343	0	510001	63444082
22.	पुदुचेरी	0	0	0	750000	0	0	750000
23.	पंजाब	0	0	6271894	2331698	2734313	2195914	13533819
24.	राजस्थान	0	0	3995909	1381200	357696	2276671 9	28501524
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	1704630 1	1648329 1	9212800	1004327 3	1526363 0	2326044 3	91309738
27.	तेलंगाना	1172435 8	9772215	5429324	350000	78100	4353298	31707295
28.	उत्तर प्रदेश	2649900 4	1404612 1	1789216 5	2403854 7	2674809 1	1000937 8	11923330 6
29.	उत्तराखंड	2100537 6	8909475	2946782	1828449 5	491668	2910858 6	80746382
30.	पश्चिम बंगाल	2116461	310353	282350	71455	785500	0	3566119
31.	त्रिपुरा	0	0	0	0	156761	0	156761
32.	नागालैंड	0	0	0	0	0	5991404	5991404
	कुल	2166549 20	1940471 80	1297352 38	1966388 95	2657432 41	1595780 86	11623975 60

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय
